

प्रेषक,  
जिलाधिकारी  
बिजनौर।

सेवा में,  
रजिस्ट्रार जनरल,  
प्रधान पीठ,  
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,  
नई दिल्ली।

पत्रांक-641 / एन-62 / जनरल-2024

दिनांक-25-09-2024

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0 ए0 सं0-801 / 2024 नीरज कुमार व अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.08.2024 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0 ए0 सं0-801 / 2024 (नीरज कुमार व अन्य बनाम उ0 प्र0 सरकार) में पारित आदेश दिनांक-22.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रकरण में वास्तविक रिपोर्ट/जॉच आख्या पत्र के साथ संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Q  
25/9/24

(अंकित कुमार अग्रवाल)  
जिलाधिकारी बिजनौर।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एप्लीकेशन नं० 801/2024 नीरज कुमार व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 के अनुपालन एवं कार्यालय जिलाधिकारी बिजनौर पत्रांक सं०-597/एन-62/जनरल -2024 दिनांक 10.09.2024 के द्वारा गठित संयुक्त टीम की निरीक्षण आख्या :-

महोदय,

कृपया संलग्न कार्यालय जिलाधिकारी महोदय बिजनौर के पत्रांक सं०-597/एन-62/जनरल -2024 दिनांक 10.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें महोदय द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एप्लीकेशन नं० 801/2024 नीरज कुमार व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 के अनुपालन में खाता सं० 03, खसरा नं० 428 क्षेत्रफल 4.2370हे० (लगभग 50 बीघा), ग्राम मौजमपुर जैतरा परगना व तहसील धामपुर जिला बिजनौर में स्थित 400 आम के पेड़ों को काटे जाने के दृष्टिगत संयुक्त जांच/कार्यवाही सम्बन्धी जांच आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

महोदय के उक्त निर्देशों के अनुपालन में राजस्व विभाग व वन विभाग व उद्यान विभाग एवं प्रदूषण विभाग की संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 18.09.2024 को शिकायती स्थल का निरीक्षण किया गया। जांच आख्या निम्नवत् है :-

उक्त शिकायती स्थल गाटा सं० 428 क्षेत्रफल 4.237हे० भूमि राजस्व अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत मौजमपुर जैतरा के ग्राम नंगला गूंगा में स्थित है। राजस्व अभिलेख 1359फसली में उक्त भूमि में बुद्धसैन के नाम दर्ज है तथा विवरण के कॉलम में बाग दर्ज है। सी०एच०४५ में उक्त भूमि योगेन्द्र प्रकश पुत्र बुद्धसैन नि० धामपुर के नाम दर्ज है तथा सी०एच० 41 के विवरण के कॉलम में बाग दर्ज है। उक्त भूमि गाटा सं० 428 श्री अखिलेश कुमार, हरिश्च कुमार, अरविन्द कुमार व अनिल कुमार की पैतृक भूमि है। राजस्व अभिलेखों के खसरे 1413 से 1426 फसली तक का अवलोकन किया गया, जिसमें आम के 140 पेड़ दर्ज होना पाया गया है। (संलग्नक-1)

उक्त भूमि गाटा सं० 428 रकवई 4.237हे० के कृषक, श्री अशीश कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० अखिलेश कुमार, अनित कुमार पुत्र सर्वेश कुमार, अरविन्द कुमार पुत्र योगेन्द्र प्रकश व हस्मि कुमार पुत्र योगेन्द्र प्रकश निवासी मौ० बजार कला धामपुर के द्वारा शपथ देकर बताया गया कि उक्त भूमि गाटा सं० 428 के खसरे में 140 आम के पेड़ दर्ज है। सभी सहखातेदारों की सहमति व रजामन्दी के बाद वन विभाग से परमिशन उपरान्त 97 आम के पेड़ों को कटवा लिया है। शपथ पत्र संलग्न है। (संलग्नक-2)

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी धामपुर जनपद बिजनौर के पत्र सं० 76/35-1( ) दिनांक धामपुर 10.10.2022 के द्वारा ग्राम नंगला गूंगा धामपुर जनपद बिजनौर के खसरा सं० 428 में


स्थित पेड़ों को परमिट सं० 1429756 दिनांक 09.09.2022 द्वारा 49 वृक्षों, एवं परमिट सं० 1152498 दिनांक 20.09.2022 द्वारा 48 आम वृक्षों कुल 97 आम वृक्षों के पातन अनुज्ञा प्रदान की गयी है। (संलग्नक-2)


निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर विभिन्न व्यास वर्ग एवं विभिन्न आयु वर्ग के 55 पेड़ आम, 01 अमलतास, 03 शीशम, 02 सीरस, 01 जंगल जलेबी व 03 नीम कुल योग- 65 पेड़ मौके पर पाये गये। राजस्व अभिलेख खसरा फसली वर्क 1429 के अनुसार आम के 140 पेड़ अभिलेखों में दर्ज है। (संलग्नक-4)


यह भी अवगत कराना है कि पूर्व में भी दिनांक 22.09.2022 को राजस्व विभाग एवं वन विभाग की टीम द्वारा स्थलीय/अभिलेखीय जांच की गयी। जिसमें पाया गया था कि तत्समय खसरे के अनुसार 140 आम के पेड़ दर्ज है। तत्समय स्थल पर उपस्थित श्री हस्ति कुमार अग्रवाल द्वारा वृक्ष गिराने की अनुज्ञा परमिट सं० 1429756 दिनांक 09.09.2022 द्वारा 49 वृक्षों, एवं परमिट सं० 1152498 दिनांक 20.09.2022 के द्वारा दी गयी थी। (पूर्व जांच आख्या संलग्नक-3)

उपरोक्त निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण,  
बोर्ड विजनौर


  
जिला उद्यान अधिकारी  
जनपद-बिजनौर

  
जनपद-बिजनौर  
जनपद-बिजनौर

  
उपजिलाधिकारी धामपुर  
जनपद-बिजनौर  
N.T

REGIONAL OFFICER  
U.P. Pollution Control Board  
BIJNOR

  
R.O  
Dhampur

  
25/9/24.  
CDM1.  
जिलाधिकारी  
बिजनौर

अकाल खेसरा मौजा जगला गुगा परगना व तहसील धामपुर जिला के सदर कसली 135 वर्ष के आयु संख्या 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510 - 1359 फसली - 511, 512, 513, 514 व 519 के

संलग्नक - 1/1

352	52	सकल खेसरा	सकल खेसरा	X	सकल खेसरा	52	सकल खेसरा
353	15	सकल खेसरा	सकल खेसरा	X	सकल खेसरा	15	सकल खेसरा
354	54	सकल खेसरा	सकल खेसरा	X	सकल खेसरा	54	सकल खेसरा
355	11	सकल खेसरा	सकल खेसरा	X	सकल खेसरा	11	सकल खेसरा
356	57	सकल खेसरा	सकल खेसरा	X	सकल खेसरा	57	सकल खेसरा
357	152	सकल खेसरा	सकल खेसरा	X	सकल खेसरा	152	सकल खेसरा
358	58	सकल खेसरा	सकल खेसरा	X	सकल खेसरा	58	सकल खेसरा
359	58	सकल खेसरा	सकल खेसरा	X	सकल खेसरा	58	सकल खेसरा
400	115	सकल खेसरा	सकल खेसरा	X	सकल खेसरा	115	सकल खेसरा
401	2115	सकल खेसरा	सकल खेसरा	X	सकल खेसरा	2115	सकल खेसरा



401 2115

401 2115

359 15


359 15

359 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		सकल खास खं० २ ३१५																		
		सकल खास खं० २ ५४																		
		सकल खास खं० २ १५६																		
		सकल खास खं० २ ५३																		
		सकल खास खं० २ १५६																		
		सकल खास खं० २ ५३																		
		सकल खास खं० २ १५६																		
		सकल खास खं० २ ५३																		
		सकल खास खं० २ १५६																		
५०२	३९१ १११११ २१११२	सकल खास खं० २		सकल खास खं० २																
५०३	१५ २	सकल खास खं० २		सकल खास खं० २																
५०४																				
५०५	१५	सकल खास खं० २		सकल खास खं० २																



	सफेद काग खं०३ ५३					
४०६	गोरद खं०१	बुद्धाय केश खं०८		५९	बाल बाली	शाली १०.०४.२०२
४०७						
४०८	सफेद काग खं०२	बुद्धाय केश खं०८			बाल बाली	
४०९	सफेद काग खं०६	बुद्धाय केश खं०८		१९	बाल बाली	शाली १०.०४.२०२
४१०						
४११	सफेद काग खं०२	बुद्धाय केश खं०८		१९	बाल बाली	शाली १०.०४.२०२
४१२						
४१३	सफेद काग खं०२	बुद्धाय केश खं०८		१९	बाल बाली	शाली १०.०४.२०२
४१४	सफेद काग खं०६	बुद्धाय केश खं०८		१९	बाल बाली	शाली १०.०४.२०२



२११:९०  
२११:९०  
२११:९०

१९५  
१९५  
१९५




क्र.सं.	व.सं.	विवरण	प्रकार	मूल्य	व.सं.	मूल्य	व.सं.	मूल्य	व.सं.	मूल्य	व.सं.	मूल्य
424	0489	उपरोक्त काम अर्थात् 20 पन्ना	X	ईश	0454	गृह	0454	-	-	-	-	-
428	4287	अनुबंध काम अर्थात् 20 पन्ना	X	धारा	0.252	गृह	1.000	-	-	-	-	-
429	0019	कुं प्राची शक्ति 3000 पन्ना	X	धारा	0.200	-	-	-	-	-	-	-
429	0019	कुं प्राची शक्ति 3000 पन्ना	X	धारा	0.200	-	-	-	-	-	-	-
430	0126	कुं प्राची व शक्ति 3000 पन्ना	X	धारा	0.0112	-	-	-	-	-	-	-
431	0051 0013	कुं प्राची व शक्ति 3000 पन्ना	X	धारा	0.126	-	-	-	-	-	-	-
	0008	अनुबंध काम अर्थात् 20 पन्ना	X	धारा	0051	-	-	-	-	-	-	-
	6.064		X									
			X	धारा	1350	गृह	1588					
			X	धारा	2000		1526					
			X	धारा	1.624							
			X	धारा	0.051							

1426 पृष्ठ

जम्मा खर्च गाजा व गाजा परगना व तहसील धामपुर जिल्हा के संवत् 1426 के गण संख्या 428

115

व.सं. 14 आंक/14



आंक प्राची-व 2149  
 नाम प्राची-धामपुर गाजा व गाजा परगना  
 गरीब बायरा 24/9/24  
 सार्वजनिक नं 25/9/24  
 25/9/24  
 1588  
 1526  
 0228

तहसील  
 धामपुर























1117

1414

1414 के कारखाने 1414 के कारखाने

109 जी.पी.एस. पोलिस  
 0054 कुमाय, सिमरपुर कुमाय  
 109 जी.पी.एस. पोलिस  
 109 जी.पी.एस. पोलिस  
 109 जी.पी.एस. पोलिस  
 109 जी.पी.एस. पोलिस

01126

01126

28 41237 140

29 0019 109 विक्रम सिंह

129 0019 124 मलखान सिंह

429 0114 136 मलखान सिंह

430 01126 124 मलखान सिंह

431 0057 144 शक्ति रामचारी

124 मलखान सिंह



समस्त राजस्व 140/10

काम मति

240  
 251924  
 251924  
 1520145  
 1520145  
 1520145  
 1520145

तद्वसीलिये

धामपुर

1413

Handwritten notes in the left margin, including "1413" and some illegible text.

Handwritten notes in the top margin, partially obscured by a yellow highlight.

Handwritten text: लाल शक्ति

Handwritten text: 601 61019 621

Handwritten text: 341 लाल

Handwritten text: 601 61019 621

Handwritten text: 341 लाल

Handwritten text: 601 61019 621

Handwritten text: 341 लाल

Handwritten text: 601 61019 621

Handwritten text: 341 लाल

Handwritten text: 601 61019 621

Handwritten text: 341 लाल

Handwritten text: 601 61019 621

Handwritten text: 341 लाल

Handwritten text: 601 61019 621



Handwritten text: 601


Handwritten text: 61019

Handwritten text: 621

Handwritten text: 601 61019 621

Handwritten text: 601




Handwritten text in the right margin: तहसीलदार धामपुर



Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP93476694990496W  
 Certificate Issued Date : 21-Sep-2024 06:40 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14721504/ DHAMPUR/ UP-BJN  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1472150483732474199327W  
 Purchased by : NEERAJ KUMAR So CHANDRA SAIN  
 Description of Document : Article 4 Affidavit  
 Property Description : Not Applicable  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : NEERAJ KUMAR So CHANDRA SAIN  
 Second Party : Not Applicable  
 Stamp Duty Paid By : NEERAJ KUMAR So CHANDRA SAIN  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 10  
 (Ten only)



शपथ पत्र

समक्ष:-जिलाधिकारी एवं जॉच अधिकारी विजनौर।

वयान श्री अवनीश कुमार पुत्र पीताम्बर सिंह व उमेश कुमार पुत्र सूरज सिंह व नीरज कुमार पुत्र निवासीमण ग्राम मौजमपुर जैतरा परगना व तहसील धामपुर विजनौर बहल्फ वयान करते हैं कि मौजा नंगला गूंगा (निकट प्रयास पुलिस चौकी) परगना धामपुर के खरारा नं०.428 रकबा 4.237 है० में आम का हरा भरा फलदार बाग जिसमें 400 पेड़ आम एवं 10 पेड़ शीशम व अन्य फलदार पेड़ खड़े थे उक्त बाग राजस्व अभिलेखों में चार हिस्सेदारों के नाम दर्ज है हरीश कुमार ने केवल 97 पेड़ों को काटने की शर्त अनुमति वन विभाग से प्राप्त की थी किन्तु वर्णित शर्तों का पालन नहीं किया गया तथा हरा-भरा फलदार वन अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से काट लिया है। जिससे हरा-भरा बाग कटने से पर्यावरण की अपूर्णीय क्षति हुई है तथा अनुमति में एक पेड़ के बदले दस पेड़ लगाने के आदेश है परन्तु एक भी पेड़ नहीं लगाया है मौके का मुआयना किया जाये जॉच के समय पर 410 पेड़ों की मूल फर्दों का अंवलोकन करा दिया है शपथकर्तागणों ने दिनांक 19.10.2023 को जो शिकायत की थी उस पर हमारे हस्ताक्षर है शपथकर्तागण के प्रार्थना पत्र पर सभी दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये वयान पढ़कर तस्दीक किया।

दिनांक 21.09.2024 को जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत होकर लिखित वयान




by Neeraj Kumar who has been identified by Deepankar Jain who is personally known to me  
 Whose Signature is/are here on attested

श.0. Neeraj Kumar  
 श.0. Deepankar Jain  
 श.0. Jai Veer Singh

Statutory Alert  
 The authenticity of the stamp certificate should be verified at www.india.gov.in. The stamp certificate is valid only if it is issued by the Government of India. The stamp certificate is not valid if it is issued by any other authority.


e-Stamp

Certificate No. : IN-UP92702639267577W  
 Certificate Issued Date : 21-Sep-2024 01:38 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/up14235504/ DHAMPUR/ UP-BJN  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1423550482230534671728W  
 Purchased by : ASHISH KUMAR AGARWAL SO LATE AKHILESH KUMAR  
 Description of Document : Article 4 Affidavit  
 Property Description : Not Applicable  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : ASHISH KUMAR AGARWAL SO LATE AKHILESH KUMAR  
 Second Party : Not Applicable  
 Stamp Duty Paid By : ASHISH KUMAR AGARWAL SO LATE AKHILESH KUMAR  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 10  
 (Ten only)



Please write or type below this line

*Ashish*



ATTEST:

*me*  
**PARSHURAM SINGH**  
 ADVOCATE/NOTARY PUBLIC  
 Tehsil-Dhampur, Distt./Bijnoir

... should be used in accordance with the provisions of the e-Stamp Act, 2005 and the e-Stamp Rules, 2005. The use of the e-Stamp Certificate is subject to the terms and conditions of the e-Stamp Certificate. For more information, please visit the website of the Competent Authority.

शपथ पत्र

समक्ष:- श्रीमान सक्षम अधिकारी

शपथ पत्र ओर से:- आशीष कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० अखिलेश कुमार नि० मौ० बाजार कला धामपुर कस्बा व परगना व तहसील धामपुर जिला बिजनौर

मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूँ कि :-

1. यह कि शपथकर्ता का उपरोक्त नाम व पता सही व सत्य है।
2. यह कि शपथकर्ता की आराजीकाशत रिथम ग्राम नंगला गूंगा परगना व तहसील धामपुर जिला बिजनौर के खसरा नं० 428 रकबई 4.237 है० के अपने बकदर भाग का सकंमणीय भूमिधर व मौके पर काबिज व दखील है।

मैं कि शपथकर्ता की उक्त आराजी के खसरे मे 140 पेड आम के दर्ज है। जिसको शपथकर्ता ने अन्य सभी सहखातेदारो की सहमति व रजामन्दी के बाद वन विभाग जिला बिजनौर से परमिशन उपरान्त 97 आम के पेडो को नियमानुसार कटवा लिया है।

शपथकर्ता को उक्त आराजी की बावत अन्य सभी सहखातेदारो से किसी भी प्रकार के कोई वाद विवाद नहीं है।

उपरोक्त परा 1 से 4 तक मेरी निजी जानकारी मे सत्य व सही है। इसमे न तो कुछ छुपाया गया है और न ही कुछ झूठ है। इश्वर मेरी मदद करे।

ह०

Ashish

ह०

Ashish

A. H. STEEL

PARSHURAM SINGH  
ADVOCATE/NOTARY PUBLIC  
ehsil-Dhampur/ Distt.-Bijnor  
Reg. No. 16915/20 Cer. Exp. No. 04/02/20

Reg. No. 16915/20 Cer. Exp. No. 04/02/20





INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh



IN-UP92703971296322W

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP92703971296322W
Certificate Issued Date	: 21-Sep-2024 01:39 PM
Account Reference	: NEWIMPACO (SV) / up14235504/ DHAMPUR/ UP-BJN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1423550402227752019432W
Purchased by	: ANIT KUMAR SO SARVESH KUMAR
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	: ANIT KUMAR SO SARVESH KUMAR
First Party	: Not Applicable
Second Party	: ANIT KUMAR SO SARVESH KUMAR
Stamp Duty Paid By	: ANIT KUMAR SO SARVESH KUMAR
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 10 (Ten only)



Please write or type below this line IN-UP92703971296322W

Anit

**DARSHURAM SINGH**  
ADVOCATE / NOTARY PUBLIC  
Tehsil-Dhampur, Dist. Bijnor


शपथ पत्र

समक्ष:- श्रीमान सक्षम अधिकारी

शपथ पत्र ओर से:- अनित कुमार पुत्र सर्वेश कुमार नि० मौ० बाजार कला धामपुर कस्बा व परगना व तहसील धामपुर जिला बिजनौर

मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूँ कि :-

1. यह कि शपथकर्ता का उपरोक्त नाम व पता सही व सत्य है।
  2. यह कि शपथकर्ता की आराजीकाशत स्थित ग्राम नंगला गूंगा परगना व तहसील धामपुर जिला बिजनौर के खसरा नं० 428 रकबई 4.237 है० के अपने बकदर भाग का सकंमणीय भूमिधर व मौके पर काबिज व दखील है।
  3. यह कि शपथकर्ता की उक्त आराजी के खसरे मे 140 पेड आम के दर्ज है। जिसको शपथकर्ता ने अन्य सभी सहखातेदारो की सहमति व रजामन्दी के बाद वन विभाग जिला बिजनौर से परमिशन उपरान्त 97 आम के पेडो को नियमानुसार कटवा लिया है।
- शपथकर्ता को उक्त आराजी की बावत अन्य सभी सहखातेदारो से किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं है।
- 1 से 4 तक मेरी निजी जानकारी मे सत्य व सही है। इसमे न तो कुछ झूठ है और न ही कुछ झूठ है। ईश्वर मेरी मदद करे।



ATTESTED:

ARSHURAM SINGH  
ADVOCATE/NOTARY PUBLIC  
Dhampur, Distt. - Bijnor  
No. 14075/93 For Exp. Up to 02/02/20

ह०

- Anit

ह०

- Anit






INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh



IN-UP92705430292235W


e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP92705430292235W
Certificate Issued Date	: 21-Sep-2024 01:39 PM
Account Reference	: NEWIMPAGG(SV)/up14235504/ DHAMPUR/ UP-BJN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1423550482226749354582W
Purchased by	: ARVIND KUMAR, SO YOGENDRA PRAKASH
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: ARVIND KUMAR SO YOGENDRA PRAKASH
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: ARVIND KUMAR SO YOGENDRA PRAKASH
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 10 (Ten only)



Please write or type below this line IN-UP92705430292235W

*Arvind Kumar*



**ARVIND KUMAR**  
PARSHURAM SINGH  
ADVOCATE/NOTARY PUBLIC  
Dhampur Dist: Bijnor  
04/02/25

Scanned with OKEN Scanner

Notary Alert: The e-Stamp certificate should be verified at www.e-stamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India. The e-Stamp certificate is valid only if the users of the certificate verify it through the e-Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India. The e-Stamp certificate is invalid if the users do not verify it through the e-Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India.

ARVIND KUMAR SO YOGENDRA PRAKASH IN-UP92705430292235W

शपथ पत्र

समक्ष:- श्रीमान सक्षम अधिकारी


शपथ पत्र ओर से:- अरविन्द कुमार पुत्र श्री योगेन्द्र प्रकाश नि० मौ० वाजार कला धामपुर  
कस्बा व परगना व तहसील धामपुर जिला बिजनौर

मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूँ कि :-

1. यह कि शपथकर्ता का उपरोक्त नाम व पता सही व सत्य है।
2. यह कि शपथकर्ता की आराजीकाशत स्थित ग्राम नंगला गूंगा परगना व तहसील धामपुर जिला बिजनौर के खसरा नं० 428 रकबई 4.237 है० के अपने बकदर भाग का सकर्मणीय भूमिधर व मौके पर काबिज व दखील है।

3. यह कि शपथकर्ता की उक्त आराजी के खसरे में 140 पेड आम के दर्ज है। जिसको शपथकर्ता ने अन्य सभी सहखातेदारों की सहमति व रजामन्दी के बाद वन विभाग जिला बिजनौर से परमिशन उपरान्त 97 आम के पेडों को नियमानुसार कटवा लिया है।

शपथकर्ता को उक्त आराजी की बावत अन्य सभी सहखातेदारों से किसी भी कोई वाद विवाद नहीं है।  
घेरा 1 से 4 तक मेरी निजी जानकारी में सत्य व सही है। इसमें न तो कुछ छिपाया गया है और न ही कुछ झूठ है। ईश्वर मेरी मदद करे।



*PS*

ATTEST:

PARSHURAM SINGH  
ADVOCATE/NOTARY PUBLIC  
Dhampur, Dist. Bijnor  
05/02/21

ह०

ह०





INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh



IN-UP92706683629855W

e-Stamp


Certificate No.	: IN-UP92706683629855W
Certificate Issued Date	: 21-Sep-2024 01:39 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/up14235504/ DHAMPUR/ UP-BJN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1423550482223918232262W
Purchased by	: HARISH KUMAR SO YOGENDRA PRAKASH
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: HARISH KUMAR SO YOGENDRA PRAKASH
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: HARISH KUMAR SO YOGENDRA PRAKASH
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 10 (Ten only)



Please write or type below this line

IN-UP92706683629855W

*Handwritten signature*



**ATTENDED**  
*Signature*  
**PARSHURAM SINGH**  
 ADVOCATE/NOTARY PUBLIC  
 Tehsil-Dhampur, Distt. Bijnor  
 Reg. No. 16935/20 Cer. Exp. No. 04/02/25

Scanned with OKEN Scanner

This stamp certificate should be verified at 'www.kenstamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India. Certificate and its availability on the website / Mobile App renders it invalid.

IN-UP92706683629855W


शपथ पत्र

समक्ष:- श्रीमान सक्षम अधिकारी

शपथ पत्र ओर से:- हरिश कुमार पुत्र श्री योगेन्द्र प्रकाश नि० मौ० बाजार कला धामपुर कस्बा व परगना व तहसील धामपुर जिला बिजनौर

मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूँ कि :-

1. यह कि शपथकर्ता का उपरोक्त नाम व पता सही व सत्य है।
2. यह कि शपथकर्ता की आराजीकाशत स्थिम ग्राम नंगला गूंगा परगना व तहसील धामपुर जिला बिजनौर के खसरा नं० 428 रकबई 4.237 है० के अपने बकदर भाग का सकंमणीय भूमिधर व मौके पर काबिज व दखील है।
3. यह कि शपथकर्ता की उक्त आराजी के खसरे मे 140 पेड आम के दर्ज है। जिसको शपथकर्ता ने अन्य सभी सहखातेदारो की सहमति व रजामन्दी के बाद वन विभाग जिला बिजनौर से परमिशन उपरान्त 97 आम के पेडो को नियमानुसार कटवा लिया है।
4. यह कि शपथकर्ता को उक्त आराजी की बावत अन्य सभी सहखातेदारो से किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं है।
5. उपरोक्त पैरा 1 से 4 तक मेरी निजी जानकारी मे सत्य व सही है। इसमे न तो कुछ छिपाया गया है और न ही कुछ झूठ है। ईश्वर मेरी मदद करे।



*Q.S.*

ATTEST  
**PASHURAM SINGH**  
 ADVOCATE/NOTARY PUBLIC  
 Tehsil-Dhampur, Distt. Bijnor  
 Reg. No. 16935/2015, Cer. Exp. No. 04/02/25

ह० हरिश कुमार  
 ह० हरिश कुमार



वृक्ष गिराने का अनुज्ञा पत्र

( शासनादेश संख्या :- उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग -2 4 8 8 / 1 4 -5 -2 0 0 2 -7/9 3 दिनांक 28/12/2002 )

( अधिनियम की धारा 5 (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित ) प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय सामाजिक वानिकी प्रभाग, 1429756, संख्या दिनांक 09/09/2022

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी	Harish Kumar Agrawal	पत्नी/पुत्र/पुत्री	श्री:	Yogendra Prakash	ज़िला:	बिजनौर
तहसील:	DHAMPUR	परगना:	ग्राम सभा:	धामपुर	थाना:	Dhampur
डाक:	khas			Bazar kala Dhampur	गांव:	Bazar kala Dhampur

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1 9 7 6 की धारा -5 के अधीन वृक्ष (वृक्षों) को गिराने के लिए अनुज्ञा पत्र गिराये जाने के सम्बन्ध में आपके आवेदन दिनांक 09/09/2022 और जाँच अधिकारी की सिफारिश के आधार पर वृक्ष / वृक्षों को गिराने / हटाने के लिए नीचे दिए गये विवरण के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	प्रजाति का नाम	132 से.मी. की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि(से.मी. में)	वृक्ष को गिराने का कारण	वन-दरोगा द्वारा दिया गया 132 से.मी. की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि (से.मी.)	वन-दरोगा द्वारा दिया गया वृक्ष को गिराने का कारण
1 आम			188 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त		188 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
2 आम			189 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त		189 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
3 आम			190 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त		190 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
4 आम			190 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त		190 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
5 आम			190 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त		190 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट

0/0

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
बिजनौर




6 आम	192 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	192 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
7 आम	193 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	193 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
8 आम	194 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	194 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
9 आम	195 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	195 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
10 आम	195 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	195 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
11 आम	195 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	195 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
12 आम	195 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	195 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
13 आम	197 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	197 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
14 आम	200 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	200 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
15 आम	200 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	200 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
16 आम	200 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	200 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
17 आम	200 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	200 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक सानिती प्रभाग  
बिजनौर



18 आम	200 फलदायी क्षमता मे भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	200 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
19 आम	202 फलदायी क्षमता मे भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	202 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
20 आम	206 फलदायी क्षमता मे भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	206 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
21 आम	210 फलदायी क्षमता मे भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	210 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
22 आम	210 फलदायी क्षमता मे भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	210 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
23 आम	210 फलदायी क्षमता मे भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	210 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
24 आम	213 फलदायी क्षमता मे भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	213 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
25 आम	214 फलदायी क्षमता मे भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	214 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
26 आम	214 फलदायी क्षमता मे भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	214 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
27 आम	215 फलदायी क्षमता मे भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	215 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
28 आम	216 फलदायी क्षमता मे भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	216 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
29 आम	220 फलदायी क्षमता मे भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	220 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट

  
प्रभागिक निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
मिर्जापुर



30 आम	220 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	220 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
31 आम	223 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	223 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
32 आम	225 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	225 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
33 आम	230 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	230 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
34 आम	230 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	230 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
35 आम	235 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	235 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
36 आम	236 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	236 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
37 आम	240 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	240 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
38 आम	240 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	240 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
39 आम	240 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	240 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
40 आम	246 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	246 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
41 आम	250 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	250 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट

  
 प्रमाणीय निदेशक  
 सामाजिक वानिकी प्रभाग  
 विसुनौर



42 आम	255 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	255 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
43 आम	257 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	257 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
44 आम	262 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	262 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
45 आम	265 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	265 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
46 आम	270 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	270 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
47 आम	290 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	290 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
48 आम	295 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	295 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
49 आम	330 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	330 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट

एन एस सी  
संख्या:

020048598912 dt 6-09-  
2022

डाकघर का नाम Bijnor

राशि :

49000.00

उपयुक्त वृक्ष श्री Harish Kumar Agrawal पुत्र श्री Yogendra Prakash के नाम से अभिलिखित प्लॉट संख्या 03 रकबा 4.237 जिला बिजनौर तहसील DHAMPUR परगना धामपुर ग्राम सभा Nangla Gunga थाना Dhampur गांव Nangla Gunga डाक khas में स्थित है।

1. आवेदक ने प्रत्येक गिरे हुए वृक्ष के स्थान पर दस पोधे रोपित करने और उनकी पश्चातवर्ती देख-रेख के लिए डाक घर बचत पास बुक / राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रति पोधे 1000/- र० सक्षम प्राधिकारी को पदनाम से गिरवी रखी गयी प्रतिभूति की धनराशि उक्त पोधों की स्थापना पर छः वर्ष के पश्चात् वापस कर दी जाएगी। कटान अवधि में कटान स्थल पर उपस्थित मुहर्रिर का दैनिक पारिश्रमिक :

2. जिस दिन से कटान शुरू होगी, अनुज्ञा धारी की यह जिम्मेदारी होगी की वह पातन प्रारंभ करने से पूर्व सम्बंधित वन क्षेत्राधिकारी को जिस तिथि से पातन पत्र जारी हो रहा है वह सूचना करेगा ताकि शासनादेश संख्या ४३४ के प्रस्तर दिए गये निर्देशों की वन क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुपालन सुरक्षित किया जा सके।

प्रमाणीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
बिजनौर



वन अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार धनराशि जमा करा के आवेदक को पातन अनुज्ञा की प्रति हस्तगत करे एवं अनुपालन आख्या से प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को अवगत करा दें ।

अनुमति शुल्क की राशि 100 रुपया प्रति वृक्ष रेंज कार्यालय में जमा कराये ।

इस पातन अनुज्ञा हेतु सम्बंधित क्षेत्र के सेक्शन अधिकारी पातन अनुज्ञा अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं, जो कि शासनादेश संख्या 34/14-5-2013 दिनांक 11/03/2013 में वर्णित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होंगे ।

यह पातन अनुज्ञा पत्र दिनांक 10/09/2022 से 23/09/2022 तक विधिमान्य होगा ।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर

संख्या. 1429756 दिनांक: 09/09/2022 पत्रांक : 532 दिनांक 9/09/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रसारित ।

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी /नजीबाबाद
2. वन क्षेत्राधिकारी धामपुर ...जिला बिजनौर
3. थानाध्यक्ष Dhampur जिला बिजनौर
4. उपजिलाधिकारी DHAMPUR....जिला बिजनौर
5. प्रभारी सुरक्षा बल बिजनौर...जिला बिजनौर

प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर(सावा) वन प्रभाग

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
बिजनौर



वृक्ष गिराने का अनुज्ञा पत्र

( शासनादेश संख्या :- उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग -2488/14-5-2002-7/93 दिनांक 28/12/2002 )

( अधिनियम की धारा 5(4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित ) प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय सामाजिक वानिकी प्रभाग, 1152498 संख्या दिनांक 20/09/2022

सेवा में .

श्री/श्रीमती/कुमारी	Harish Kumar Agrawal	पत्नी/पुत्र/पुत्री	श्री:	ग्रामीण	Yogendra Prakash	जिला:	मिर्जापुर
तहसील:	DHAMPUR	परगना:	धामपुर	थाना:	Dhampur	गांव:	Bazar Kala Dhampur
डाक:	khas	ग्राम सभा:	Bazar Kala Dhampur				

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा -5 के अधीन वृक्ष (वृक्षों) को गिराने के लिए अनुज्ञा पत्र गिराये जाने के सम्बन्ध में आपके आवेदन दिनांक 20/09/2022 और जाँच अधिकारी की सिफारिश के आधार पर वृक्ष / वृक्षों को गिराने / हटाने के लिए नीचे दिए गये विवरण के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की जाती है :-


क्रम संख्या	प्रजाति का नाम	132 से.मी. की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि(से.मी. में)	वृक्ष को गिराने का कारण	वन-दरोगा द्वारा दिया गया 132 से.मी. की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि (से.मी.)	वन-दरोगा द्वारा दिया गया वृक्ष को गिराने का कारण
1 आम		190 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त		190 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट	
2 आम		190 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त		190 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट	
3 आम		190 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त		190 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट	
4 आम		192 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त		192 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट	
5 आम		192 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त		192 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट	

OIC

  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
मिर्जापुर



6 आम	198 फलदायी क्षमता मे भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	198 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
7 आम	200 फलदायी क्षमता मे भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	200 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
8 आम	200 फलदायी क्षमता मे भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	200 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
9 आम	200 फलदायी क्षमता मे भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	200 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
10 आम	202 फलदायी क्षमता मे भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	202 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
11 आम	203 फलदायी क्षमता मे भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	203 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
12 आम	210 फलदायी क्षमता मे भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	210 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
13 आम	216 फलदायी क्षमता मे भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	216 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
14 आम	218 फलदायी क्षमता मे भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	218 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
15 आम	220 फलदायी क्षमता मे भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	220 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
16 आम	220 फलदायी क्षमता मे भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	220 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
17 आम	226 फलदायी क्षमता मे भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	226 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट

  
 प्रमाणीय निदेशक  
 सामाजिक वानिकी प्रभाग  
 बिजनौर



18 आम	227 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	227 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
19 आम	230 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	230 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
20 आम	230 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	230 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
21 आम	233 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	233 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
22 आम	235 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	235 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
23 आम	240 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	240 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
24 आम	245 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	245 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
25 आम	250 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	250 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
26 आम	252 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	252 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
27 आम	260 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	260 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
28 आम	270 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	270 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
29 आम	275 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	275 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
वैजनाद



30 आम	280 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	280 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
31 आम	280 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	280 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
32 आम	280 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	280 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
33 आम	280 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	280 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
34 आम	280 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	280 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
35 आम	280 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	280 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
36 आम	282 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	282 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
37 आम	288 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	288 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
38 आम	290 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	290 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
39 आम	290 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	290 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
40 आम	292 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	292 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
41 आम	292 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	292 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक यानिकी प्रभाग  
लखनऊ



42 आम	297 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	297 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
43 आम	300 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	300 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
44 आम	310 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	310 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
45 आम	315 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	315 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
46 आम	340 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	340 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
47 आम	370 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	370 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट
48 आम	395 फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	395 फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट

एन एस सी संख्या:

020048600341 dt 06-09-2022

डाकघर का नाम Bijnor

राशि :

48000.00


उपयुक्त वृक्ष श्री Harish Kumar Agrawal पुत्र श्री Yogendra Prakash के नाम से अभिलिखित प्लॉट संख्या 03 रकबा 4.237 जिला विजनौर तहसील DHAMPUR परगना शेरकोट ग्राम सभा Nagla Gunga थाना Dhampur गांव Nagla Gunga डाक khas में स्थित है ।

1. आवेदक ने प्रत्येक गिरे हुए वृक्ष के स्थान पर दस पोधे रोपित करने और उनकी पश्चातवर्ती देख-रेख के लिए डाक घर बचत पास बुक / राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रति पोधे 1 0 0 0/- र० सक्षम प्राधिकारी को पदनाम से गिरवी रखी गयी प्रतिभूति की धनराशि उक्त पोधों की स्थापना पर छः वर्ष के पश्चात् वापस कर दी जाएगी । कटान अवधि में कटान स्थल पर उपस्थित मुहरिर का दैनिक पारिश्रमिक :

2. जिस दिन से कटान शुरू होगा , अनुज्ञा धारी की यह जिम्मेदारी होगी की वह पातन प्रारंभ करने से पूर्व सम्बंधित वन क्षेत्राधिकारी को जिस तिथि से पातन पत्र जारी हो रहा है वह सूचना करेगा ताकि शासनादेश संख्या ४३४ के प्रस्तर दिए गये निर्देशों की वन क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुपालन सुरक्षित किया जा सके ।

3. सेक्शन अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार धनराशि जमा करा के आवेदक को पातन अनुज्ञा की प्रति हस्तगत करायें एवं अनुपालन आख्या से प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को अवगत करा दें ।

4. अनुज्ञाति शुल्क की राशि 100 रुपया प्रति वृक्ष रेंज कार्यालय में जमा कराये ।

  
प्रमागीय निर्देशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
विजनौर



इस पातन अनुज्ञा हेतु सम्बंधित क्षेत्र के सेक्शन अधिकारी पातन अनुज्ञा अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं, जो कि शासनादेश संख्या 434/14-5-2013 दिनांक 11/03/2013 में वर्णित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होंगे।

6. यह पातन अनुज्ञा पत्र दिनांक 21/09/2022 से 03/10/2022 तक विधिमान्य होगा।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर

संख्या. 1152498 दिनांक: 20/09/2022 पत्रांक : 595 (क) / 20/9/22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रसारित।

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी / नजीबाबाद
2. वन क्षेत्राधिकारी धामपुर ...जिला बिजनौर
3. थानाध्यक्ष Dhampur जिला बिजनौर
4. उपजिलाधिकारी DHAMPUR...जिला बिजनौर
5. प्रभारी सुरक्षा बल बिजनौर...जिला बिजनौर

प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर(सावा) वन प्रभाग  
प्रभागीय निदेशक  
प्रजाजिक वानिकी प्रभाग  
बिजनौर

सेवा में,

श्रीमान डी.एफ.ओ. महोदय,  
वन विभाग अधिकारी बिजनौर।

प्रार्थना पत्र वास्ते प्रार्थी को अपनी आराजी में से 48 आम के पेड काटने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रार्थन पत्र।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी हरीश कुमार पुत्र श्री योगेन्द्र प्रकाश निवासी मौहल्ला बजार कलां कस्बा धामपुर तहसील धामपुर जिला बिजनौर का स्थाई निवासी है। अतः वाक्यात इस प्रकार है कि प्रार्थी की एक कित्ता आराजी खाता न०-03, खसरा नं०-428, रकबई 4.237 है० भूमि है। जिसमें कुल 140 पेड आम के खडे है। जिनमें से 49 पेड आम के कटवाना चाहता है। जो कि नाकारा है फलहीन है और अन्य फसल को हानि पहुचा रहे है। जिनका काटा जाना जरूरी है। तथा मैं उक्त पेडो को कटवाकर दुगने फलदार पेड लगाउंगा। उक्त पेडो की बाबत स्वामित्व सम्बन्धी कोई बिबाद नही है। उक्त की बाबत किसी भी सक्षम न्यायालय से ट्राजिट फीस सम्बन्धी कोई स्टे आर्डर आदि नही लिया गया है। जिसमें 49 पेडो को काटने की अनुमति प्रदान करे।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त पेडो को काटने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करे।

आपकी अति कृपा होगी।


दिनांक:- 26.07.2022

हरीश कुमार  
प्रार्थी

लक्ष्मी

योगेन्द्र प्रकाश  
आयुष्मन्  
श्रेत्रोय वन अधिकारी  
धामपुर रेंज  
सा०वा० प्रभाग बिजनौर

हरीश कुमार पुत्र श्री योगेन्द्र प्रकाश  
निवासी मौहल्ला बजार कलां कस्बा  
धामपुर तहसील धामपुर जिला  
बिजनौर।



सत्यमेव जयते

111




INDIA NON JUDICIAL

3/14

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP52341776382878U  
 Certificate Issued Date : 26-Jul-2022 01:59 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14619304/ DHAMPUR/ UP-BJN  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1461930496892074487589U  
 Purchased by : HARISH KUMAR SO YOGENDRA PRAKASH  
 Description of Document : Article 4 Affidavit  
 Property Description : Not Applicable  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : HARISH KUMAR SO YOGENDRA PRAKASH  
 Second Party : Not Applicable  
 Stamp Duty Paid By : HARISH KUMAR SO YOGENDRA PRAKASH  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 10  
 (Ten only)



Please write or type below this line

हरीश कुमार  
हरीश कुमार

ATTESTED

*Signature*  
 PARSHURAM SINGH  
 Advocate/Notary  
 Regd. No. 18935/4/2/2025  
 Teh. Dhampur Distt Bijnor

Printed by Aard

For more information, please visit the website of the Government of India at [www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in) or [www.e-stamp.gov.in](http://www.e-stamp.gov.in).  
 The certificate is valid only if it is signed by the Notary Public and the account reference number is correct.  
 The certificate is valid only if it is signed by the Notary Public and the account reference number is correct.

शपथ-पत्र

समक्ष:- श्रीमान डी.एफ.ओ. महोदय,  
वन विभाग अधिकारी बिजनौर।

शपथपत्र मिनजानिब- हरीश कुमार पुत्र श्री योगेन्द्र प्रकाश निवासी मौहल्ला बजार कलां  
कस्बा धामपुर तहसील धामपुर जिला बिजनौर।

यह कि शपथकर्ता निम्न शपथपूर्वक बयान करता है कि:-

1. यह कि मेरा उपरोक्त लिखा गया नाम व पता सही व सच है।
2. यह कि शपथकर्ता की एक किता आराजी खाता न0-03, खसरा नं0-428, रकबई 4.237 है0 भूमि है। जिसमें कुल 140 पेड आम के खडे है।

3. यह कि शपथकर्ता जिनमें से 49 पेड आम के कटवाना चाहता है। जो कि नाकारा फलहीन है और अन्य फसल को हानि पहुंचा रहे है। जिनका काटा जाना जरूरी है।

4. यह कि मैं उक्त पेडो को कटवाकर दुगने फलदार पेड लगाउंगा।

5. यह कि उक्त पेडो की बाबत स्वामित्व सम्बन्धी कोई विवाद नहीं हैं।

6. यह कि उक्त की बाबत किसी भी सक्षम न्यायालय से ट्राजिट फीस सम्बन्धी कोई स्ट्टे आर्डर आदि नहीं लिया गया है। जिसमें 49 पेडो को काटने की अनुमति प्रदान करे।

7. मुझे मेरे पेडो को काटने की अनुमति प्रदान की जाये।

8. यह कि उपरोक्त शपथ पत्र का कुल मजमून मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सही व सच है। इसमें कुछ छिपाया नहीं गया है। मालिक मेरी मदद करे।

Sworn before me on the 26-07-2022  
at Hamirpur, Bihar  
who has been identified by  
who is personally known to me,  
whose signature is/are

PARSHUL SINGH  
Advocate  
Regd No 1235/2021  
Certificate Exp On 04/02/22  
at Dhampur Dist. Bihar

ह0शपथकर्ता..... हरीश कुमार

ह0शपथकर्ता..... हरीश कुमार




शपथ-पत्र

समक्ष:- श्रीमान डी.एफ.ओ. महोदय,  
बिजनौर वन प्रभाग बिजनौर।

शपथपत्र मिनजानिब-अरविन्द कुमार , अखिलेश कुमार पुत्रगण योगेन्द्र प्रकाश व अनित कुमार पुत्र सर्वेश कुमार निवासी मौहल्ला बाजार कला कस्बा धामपुर परगना व तहसील धामपुर जिला बिजनौर।

यह कि शपथकर्तागण निम्न शपथपूर्वक बयान करते है कि:-

1. यह कि हमारा उपरोक्त लिखा गया नाम व पता सही व सच है।
2. यह कि शपथकर्तागण की एक कित्ता आराजी खाता न0-03, खसरा नं0-428 रकबई 4.237 है0 भूमि है। जिसमें बाग है। यह कि जिनमें से 49 पेड आम के कटवाना चाहता है। जो कि नाकारा है फलहीन है और अन्य फसल को हानि पहुचा रहे है। जिनका काटा जाना जरूरी है। यह कि शपथकर्तागण की आराजी से 49 आम के पेडो को हरीश कुमार पुत्र योगेन्द्र प्रकाश को काटने मे हमे कोई आपत्ति नही है। और न कमी भविष्य में होगी। जिसमें हमारी पूर्ण सहमति है।
5. यह कि उपरोक्त शपथ पत्र का कुल मजमून मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सही व सच है। इसमे कुछ छिपाया नही गया है। ईश्वर मेरी मदद



Handwritten initials 'QA'.

Sworn before me on the 28-07-2022 day of July, 2022 at Kulmari, Bihar by Arvind Kumar, Akhilesh Kumar, Anil Kumar who has been identified by S. P. Singh who is personally known to me and whose signature is [Signature]

[Signature]  
 P. S. SINGH  
 A. J. SINGH  
 Revenue Officer  
 Certificate Ex. No. Or 04/02/22  
 Tah. Dharampur Distt. Bihar

ह0शपथकर्तागण Anil

ह0शपथकर्तागण Arvind Kumar

सेवा में,

श्रीमान डी.एफ.ओ. महोदय,  
वन विभाग अधिकारी बिजनौर।

प्रार्थना पत्र वास्ते प्रार्थी को अपनी आराजी में से 48 आम के पेड काटने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रार्थन पत्र।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी हरीश कुमार पुत्र श्री योगेन्द्र प्रकाश निवासी मौहल्ला बजार कलां कस्बा धामपुर तहसील धामपुर जिला बिजनौर का स्थाई निवासी है अतः वाक्यात इस प्रकार है कि प्रार्थी की एक किता आराजी खाता न0-03, खसरा नं0-428, रकबई 4.237 है0 भूमि है। जिसमें कुल 140 पेड आम के खडे है। जिनमें से 48 पेड आम के कटवाना चाहता है। जो कि नाकारा है फलहीन है और अन्य फसल को हानि पहुचा रहे है। जिनका काटा जाना जरुरी है। तथा मै उक्त पेडो को कटवाकर दुगने फलदार पेड लगाउंगा। उक्त पेडो की बाबत स्वामित्व सम्बन्धी कोई बिबाद नही है। उक्त की बाबत किसी भी सक्षम न्यायालय से ट्राजिट फीस सम्बन्धी कोई स्टे आर्डर आदि नही लिया गया है। जिसमें 48 पेडो को काटने की अनुमति प्रदान करे।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त पेडो को काटने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करे।


आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक:- 26.07.2022

हरिश कुमार  
प्रार्थी

सेवा में  
श्रीमान डी.एफ.ओ. महोदय,  
वन विभाग अधिकारी बिजनौर।  
धामपुर तहसील धामपुर जिला बिजनौर

हरिश कुमार पुत्र श्री योगेन्द्र प्रकाश  
निवासी मौहल्ला बजार कलां कस्बा  
धामपुर तहसील धामपुर जिला  
बिजनौर।





# INDIA NON JUDICIAL 116

## Government of Uttar Pradesh

### e-Stamp

Certificate No. : IN-UP52340805299038U  
 Certificate Issued Date : 26-Jul-2022 01:58 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14619304/ DHAMPUR/ UP-BJN  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1461930496893822993375U  
 Purchased by : HARISH KUMAR SO YOGENDRA PRAKASH  
 Description of Document : Article 4 Affidavit  
 Property Description : Not Applicable  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : HARISH KUMAR SO YOGENDRA PRAKASH  
 Second Party : Not Applicable  
 Stamp Duty Paid By : HARISH KUMAR SO YOGENDRA PRAKASH  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 10  
 (Ten only)



Please write or type below this line



हरीश कुमार  
हरीश कुमार

ATTESTED  
PARSHI [Signature]  
[Signature]  
Road No. [Signature]  
[Signature]

#### Statutory Alert

As per the provisions of the Information Technology Act, 2008, the e-Stamp generated by the Government of Uttar Pradesh is valid only if it is accompanied by the Certificate and is available on the website: [www.upstamp.gov.in](http://www.upstamp.gov.in). The e-Stamp generated by the Government of Uttar Pradesh is not valid if it is not accompanied by the Certificate and is not available on the website: [www.upstamp.gov.in](http://www.upstamp.gov.in).

शपथ-पत्र

समक्ष:- श्रीमान डी.एफ.ओ. महोदय,  
वन विभाग अधिकारी बिजनौर।

शपथपत्र मिनजानिब- हरीश कुमार पुत्र श्री योगेन्द्र प्रकाश निवासी मौहल्ला बजार कलां  
कस्बा धामपुर तहसील धामपुर जिला बिजनौर।


यह कि शपथकर्ता निम्न शपथपूर्वक वयान करता है कि:-

1. यह कि मेरा उपरोक्त लिखा गया नाम व पता सही व सच है।
2. यह कि शपथकर्ता की एक कित्ता आराजी खाता न0-03, खसरा नं0-428, रकबई 4.237 है0 भूमि है। जिसमें कुल 140 पेड आम के खडे है।
3. यह कि शपथकर्ता जिनमें से 48 पेड आम के कटवाना चाहता है। जो कि नाकारा है फलहीन है और अन्य फसल को हानि पहुंचा रहे है। जिनका काटा जाना जरूरी है।
4. यह कि मैं उक्त पेडो को कटवाकर दुगने फलदार पेड लगाउंगा।
5. यह कि उक्त पेडो की बाबत स्वामित्व सम्बन्धी कोई बिबाद नही है।
6. यह कि उक्त की बाबत किसी भी सक्षम न्यायालय से ट्राजिट फीस सम्बन्धी कोई स्टे आर्डर आदि नही लिया गया है। जिसमें 48 पेडो को काटने की अनुमति प्रदान करे।
7. मुझे मेरे पेडो को काटने की अनुमति प्रदान की जाये।
8. यह कि उपरोक्त शपथ पत्र का कुल मजमून मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सही व सच है। इसमें कुछ छिपाया नही गया है। मालिक मेरी मदद करे।

I swear before you that I am the  
owner of the above described land  
who has been identified in  
Who is personally known to me  
whose signature is as follows

DATE 20/03/2020  
20/03/2020  
Regd No 20/03/2020  
Certificate Exp. on 14/02/21  
Tah. Dharmour Dist. Muzaffarpur



ह0शपथकर्ता... हरीश कुमार  
ह0शपथकर्ता... हरीश कुमार




Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP52339796930728U  
 Certificate Issued Date : 26-Jul-2022 01:58 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14619304/ DHAMPUR/ UP-BJN  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1461930496905057915491U  
 Purchased by : ARVIND KUMAR AKHILESH KUMAR SO YOGENDRA PRASAD  
 Description of Document : Article 4 Affidavit  
 Property Description : Not Applicable  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : ARVIND KUMAR AKHILESH KUMAR SO YOGENDRA PRASAD  
 Second Party : Not Applicable  
 Stamp Duty Paid By : ARVIND KUMAR AKHILESH KUMAR SO YOGENDRA PRASAD  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 10  
 (Ten only)



Please write or type below this line



*Arvind Kumar*

*Arvind Kumar*

ATTESTED

*Parshuram Singh*  
PARSHURAM SINGH  
Advocate

Reg. No. 161975/12/2025  
Dhampur Dist. Bund.

Legal Alert

The Government of India, Ministry of Law and Justice, has issued a notification regarding the use of e-stamps. The notification states that e-stamps are now valid for use in all courts and tribunals. This is a significant step towards the digitalization of the legal system and the reduction of paper usage. It is advised that all parties involved in legal proceedings should be aware of this change and utilize e-stamps where applicable to ensure compliance with the latest regulations.

शपथ-पत्र

समक्ष:- श्रीमान डी.एफ.ओ. महोदय,  
बिजनौर वन प्रभाग बिजनौर।

शपथपत्र मिनजानिब-अरविन्द कुमार, अखिलेश कुमार पुत्रगण योगेन्द्र प्रकाश व अनित कुमार पुत्र सर्वेश कुमार निवासी मौहल्ला बाजार कलां कस्बा धामपुर परगना व तहसील धामपुर जिला बिजनौर।

यह कि शपथकर्तागण निम्न शपथपूर्वक बयान करते हैं कि:-

1. यह कि हमारा उपरोक्त लिखा गया नाम व पता सही व सच है।
2. यह कि शपथकर्तागण की एक किता आराजी खाता न0-03, खसरा न0-428 रकबई 4.237 है0 भूमि है। जिसमें बाग है।
3. यह कि जिनमें से 48 पेड आम के कटवाना चाहता है। जो कि नाकारा है फलहीन है और अन्य फसल को हानि पहुंचा रहे है। जिनका काटा जाना जरूरी है।
4. यह कि शपथकर्तागण की आराजी से 48 आम के पेडो को हरीश कुमार पुत्र योगेन्द्र प्रकाश को काटने मे हमे कोई आपत्ति नहीं है। और न कमी भविष्य में होगी। जिसमें हमारी पूर्ण सहमति है।
5. यह कि उपरोक्त शपथ पत्र का कुल मजमून मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सही व सच है। इसमे कुछ छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद

करे। 26-07-2022

who has been identified by  
Who is personally known to  
whose signature is stated

Kumar, Anitkar

ह0शपथकर्तागण.....

PARSIPATI SINGH  
Rego No. Tr. 13/2021  
Certificate Exp. On 04/02/22  
Teh. Dhampur Dist. Bulandshahr

ह0शपथकर्तागण.....

प्रेषक,

जिला उद्यान अधिकारी  
बिजनौर

प्रेषित,

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
बिजनौर

पत्रांक:- 615 / पातन / 2022-23 / दिनांक 26-8-2022

महोदय,

आपके पत्रांक 145 (के0)/27-18-3/बिजनौर/दिनांक 04-08-2022 के क्रम में कृषक श्री हरीश कुमार पुत्र श्री योगेन्द्र कुमार निवासी बजार कला धामपुर तहसील धामपुर जिला बिजनौर के निजी खतौनी/खेत सं0 03 मौजा नंगला गूंगा परगना धामपुर तहसील धामपुर जिला बिजनौर के पेडो का निरीक्षण श्री त्रिभुवन कुमार, उद्यान निरीक्षक से कराया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निरीक्षण आख्या के अनुसार मौके पर कृषक/वन विभाग द्वारा चिन्हित 48 पेड आम की जांच की गयी जांच में पाया गया कि पेड कीड़े-मकोड़ो से ग्रस्त होने व रोगग्रस्त होने के कारण इन 48 पेडो की फलदायी क्षमता में भी भरपूर गिरावट आ गई है।

संलग्न:-उक्तानुसार मूल पत्रावली।

भवदीय

(जितेन्द्र कुमार)

जिला उद्यान अधिकारी  
बिजनौर

प्रेषक,

जिला उद्यान अधिकारी  
बिजनौर

प्रेषित,

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
बिजनौर

पत्रांक:- 616 / पातन / 2022-23 / दिनांक 26-8-2022

महोदय,

आपके पत्रांक 144 (के0)/27-18-3/बिजनौर/दिनांक 04-08-2022 के क्रम में कृषक श्री हरीश कुमार पुत्र श्री योगेन्द्र कुमार निवासी बजार कला धामपुर तहसील धामपुर जिला बिजनौर के निजी खतौनी/खेत सं0 03 मौजा नंगला गूंगा परगना धामपुर/तहसील धामपुर जिला बिजनौर के पेडो का निरीक्षण श्री त्रिभुवन कुमार, उद्यान निरीक्षक से कराया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निरीक्षण आख्या के अनुसार मौके पर कृषक/वन विभाग द्वारा चिन्हित 49 पेड आम की जांच की गयी जांच में पाया गया कि पेड कीड़े-मकोडो से ग्रस्त होने व रोगग्रस्त होने के कारण इन 49 पेडो की फलदायी क्षमता में भी भरपूर गिरावट आ गई है।

संलग्न:-उक्तानुसार मूल पत्रावली।

भवदीय



(जितेन्द्र कुमार)

जिला उद्यान अधिकारी  
बिजनौर

①

क्षेत्रीय वन अधिकारी  
धामपुर रेंज

आम वृक्षों का  
क्षेत्रीय वन  
साथ

विषय - पातल आम वृक्षों का वन रिपोर्ट

महोदय - आपसे श्री हरीश चंद्रा पुत्र श्री गोविंद सिंह निवासी गौरी बालाखण्ड  
धामपुर, जिला-बिजनौर के निजी आशुल ग्राम-बालाखण्ड के खेतों में  
आम वृक्षों की पातल आम वृक्षों की वन रिपोर्ट है।

क्र.सं.	प्रजाति	गोलाई	व्यासकी	दशा	क्र.सं.	प्रजाति	गोलाई	व्यासकी	दशा
1	आम	265	नसेअप	हवा	25	आम	230	नसेअप	हवा
2	u	330	u	u	26	u	192	6-7	u
3	u	240	u	u	27	u	214	6-7	u
4	u	246	u	u	28	u	240	नसेअप	u
5	u	210	6-7	u	29	u	255	u	u
6	u	195	6-7	u	30	u	290	u	u
7	u	210	6-7	u	31	u	200	6-7	u
8	u	194	6-7	u	32	u	195	6-7	u
9	u	240	6-7	u	33	u	216	नसेअप	u
10	u	190	6-7	u	34	u	195	6-7	u
11	u	189	6-7	u	35	u	214	6-7	u
12	u	240	नसेअप	u	36	u	262	नसेअप	u
13	u	195	6-7	u	37	u	235	u	u
14	u	197	6-7	u	38	u	200	6-7	u
15	u	206	6-7	u	39	u	200	6-7	u
16	u	200	6-7	u	40	u	230	नसेअप	u
17	u	190	6-7	u	41	u	200	6-7	u
18	u	220	नसेअप	u	42	u	257	नसेअप	u
19	u	193	6-7	u	43	u	200	u	u
20	u	215	नसेअप	u	44	u	295	नसेअप	u
21	u	270	u	u	45	u	236	u	u
22	u	290	u	u	46	u	223	u	u
23	u	280	6-7	u	47	u	202	6-7	u
24	u	250	नसेअप	u	48	u	190	6-7	u
					49	u	213	6-7	u

आम वृक्षों का  
क्षेत्रीय वन  
धामपुर रेंज  
साथ प्रभाग बिज

कुल 49 आम वृक्षों की लॉय रिपोर्ट। कुल क्षेत्रीय वन में 140 आम वृक्ष (49+48=97 वृक्ष)

शेष / रिजर्व 48 आम वृक्ष

क्षेत्रीय वन अधिकारी  
बिजनौर

20/10/20

खसरा बाबू नाम (सं. 1) परगना नसील एम.पु. जिला नसील साल 1429 खल फसल अन्वयन

123

खेत की संख्या	क्षेत्रफल हेक्टर में	नं० खाता खतौनी	खतौनी के भाग-1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई है	सिंचाई का साधन	क्षेत्रफल						फसली क्षेत्रफल दो		अग्रणीत भूमि क्षेत्रफल	खेत के पूरे बड़े हुए पेड़ों की संख्या	टिप्पणी			
						फसल	सिंचित	असिंचित	फसल	सिंचित	असिंचित	फसली	असिंचित						
1																			
2																			
3																			
4			हरिश्चंद्र कुमार, कर्मवीर-५ कुमार, कर्मिंद कुमार, आशीष कुमार अजयपाल																
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			

हरिश्चंद्र कुमार

2018/22

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी धामपुर।

पत्र संख्या- 36 / 35-1( ) दिनांक : धामपुर : 10 अक्टूबर, 2022।

सेवा में,

उप जिलाधिकारी

धामपुर।

विषय - खसरा संख्या 428 मौजा नंगला गूगों में स्थित आम वृक्षों की पातन अनुज्ञा के सम्बन्ध में आख्या।

सन्दर्भ:- आपका कार्यालय पत्रांक 331/उ0जि0अ0 धामपुर एरा0टी0 2022 दिनांक 07.10.2022।

आपका उपरोक्त सन्दर्भित पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से आपके द्वारा ग्राम नंगला गूगों परगना व तहसील धामपुर के खसरा सं0 428 में स्थित आम का बाग जिसमें सैकड़ों फेड़ खड़े थे और उक्त भूमि विनियमित क्षेत्र धामपुर की महायोजना में ग्रीन बर्ज/बाग के रूप में प्रदर्शित है को वन विभाग की मिलीभगत से पूर्णतः कटवा दिया गया है के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है।

उक्त प्रकरण में सादर अवगत कराना है कि नंगला गूगों के खसरा संख्या 428 के सम्बन्ध में आपके विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी खसरा, खतौनी में कहीं भी विनियमित क्षेत्र से सम्बंधित विवरण अंकित नहीं है। सुलभ सन्दर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है। दिनांक 22.09.2022 को आपके विभाग के नायब तहसीलदार एवं हल्का लेखपाल के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय एवं निरीक्षण की रिपोर्ट में भी विनियमित क्षेत्र है अथवा नहीं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आपके विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी खसरा में 140 आम वृक्ष होना दर्शाया गया जिसमें आवेदक कृषक द्वारा परमिट संख्या 1429756 दिनांक 09.09.2022 द्वारा 49 वृक्षों एवं परमिट संख्या 1152498 दिनांक 20.09.2022 द्वारा 48 आम वृक्षों कुल 97 आम वृक्षों की पातन अनुज्ञा नियमानुसार प्राप्त की गयी है। दिनांक 22.09.2022 को संयुक्त निरीक्षण के दौरान 43 वृक्ष मौके पर खड़े पाये गये।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उक्त दोनो पातन अनुज्ञा उ0प्र0 ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अन्तर्गत नियमानुसार जारी की गयी है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

G. S. S. 10/10/2022  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
धामपुर।

पत्रांक

दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, विजनाोर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी, नजीबाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

G. S. S. 10/10/2022  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
धामपुर।


ale-


CSH  
11/10/22


महोदय,


कृपया स.ग.न आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं० 121340220174786 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे. गिराके माध्यम से दिजनोंर दैनिक हिन्दुस्तान में दिनांक 15.09.2022 को "हरे भरे आम के बाग पर चला दिया आरा" शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में जाचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है, के क्रम में क्षेत्रीयवनाधिकारी धामपुर, सेक्शन अधिकारी (वन) धामपुर नायब तहसीलदार धामपुर व क्षेत्रीय लेखपाल के साथ संयुक्त जांच की गयी, जाच आख्या निम्नवत् है-

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि संदर्भित प्रकरण ग्राम नंगला गूंगा परगना व तहसील धामपुर के गाटा सं० 428 से सम्बन्धित है, जो राजस्व अभिलेखों मे श्री हरिश कुमार अरविन्द कुमार पुत्रगण योगेन्द्र प्रकाश आदि निवासी धामपुर के नाम श्रेणी 1क सक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है, जिसमें वर्तमान में आम का बाग तथा खसरे के अनुसार बाग में 140 आम के पेड दर्ज है। स्थल पर उपस्थित श्री हरिश कुमार अग्रवाल द्वारा वृक्ष गिराने का अनुज्ञा पत्र सं० 1429756 दिनांक 09.09.2022 में 49 आम के वृक्ष एवं 1152498 दिनांक 20.09.2022 में 48 आम के वृक्ष गिराने की अनुज्ञा प्राप्त है, प्रस्तुत किया गया, जिसकी छायाप्रति सलग्न है। वर्तमान में भौकें पर पेडों की काटाई चल रही है तथा नये पेडों का वृक्षारोपण भी हो रहा है, जिसके फोटो सलग्न हैं। उक्त पेड कटान नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर की जा रही है। शिकायत निराधार पघी गयी है। प्रार्थना पत्र निक्षेपित किये जन्ने हेतु आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

  
 डी० लेखपाल  
 22

  
 नायब तहसीलदार  
 धामपुर

  
 क्षेत्रीय वन अधिकारी  
 धामपुर 22

  
 सेक्शन अधिकारी (वन)  
 धामपुर।

Item No.04

Court No. 2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No.801/2024

Neeraj Kumar and Ors.

Applicants

Versus

State of UP

Respondent

Date of hearing: 22.08.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Applicant(s): None

**ORDER**

1. This Original Application under Sections 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as '**NGT Act, 2010**') has been registered in exercise of *suo-moto* jurisdiction on a letter petition dated 19.10.2023, sent by Neeraj Kumar son of Late Chander Singh and Avnish Kumar son of Pitamber Singh complaining that Harish Kumar son of Yogender Prakash and three other shareholders in the land bearing Khata No. 3, Khasra No.428 area 4.2370 (about 50 bighas) situated at Prayas Police Station Malviya Chowki, village Moujjampur Jaitra, Tehsil Dhampur, District Bijnor, have illegally cut about 400 mango trees and 10 season trees which were ranging from 12-16 years, in an illegal manner, though had obtained permission from Forest Authorities for cutting of only 97 trees vide orders dated 09.09.2022 and 20.09.2022.

2. Complaint was made to concerned authorities but no action has been taken for the said illegal cutting of trees against the violators. Relevant documents relating to ownership of the land, the permission given by Divisional Director for cutting of some trees etc., are on record.

3. In the circumstances, *prima-facie* we are satisfied that a substantial question relating to environment due to implementation of enactments mentioned in Schedule I under NGT Act, 2010 has arise but before proceeding further in the matter, we find it appropriate to obtain a Factual Report for which we constitute a Joint Committee comprising Divisional Forest Officer/Divisional Director, Social Forest Department Bijnor, District Magistrate, Bijnor and Uttar Pradesh Pollution Control Board.

4. District Magistrate, Bijnor shall be the Nodal Agency for co-ordination and compliance of this order.

5. Above Committee shall visit the site, collect relevant information and submit a Factual Report within one month.

6. List for further consideration on 27.09.2024

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

August 22, 2024  
Original Application No.801/2024  
M